

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 245]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 जून 2019—ज्येष्ठ 30, शक 1941

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जून 2019

क्र. एफ-1-2-2019-बयालीस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 सहपठित संशोधन दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

- (1) सम्पूर्ण नियमों में शब्द "तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग" स्थापित किए जाएं।
- (2) अनुसूची एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अनुसूची—एक

(नियम 5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु- क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अतिरिक्त संचालक (संचालनालय) अतिरिक्त संचालक (एमपीएसएसडीइजीवी) निदेशक (IToTs)	06 01 01	प्रथम श्रेणी प्रथम श्रेणी प्रथम श्रेणी	ईपी-15 रु. 123100-215900 — तदैव — — तदैव —
2	सयुक्त संचालक	14	प्रथम श्रेणी	ईपी-14 रु. 79900-211700
3	प्राचार्य प्रथम-श्रेणी उपशिक्षुता सलाहकार उप संचालक	57 01 15	प्रथम श्रेणी प्रथम श्रेणी प्रथम श्रेणी	ईपी-13 रु. 67300-206900 — तदैव — — तदैव —

4	प्राचार्य द्वितीय-श्रेणी	191	द्वितीय श्रेणी	ईपी-12 रु. 56100-177500
	सहायक संचालक (तकनीकी)	51	द्वितीय श्रेणी	- तदैव -
	व्याख्याता (IToTs) ट्रेड, इंजीनियरिंग टेक्नॉलाजी, ट्रेनिंग मेथौडोलॉजी	24	द्वितीय श्रेणी	- तदैव -
5	लेखाधिकारी (संयुक्त संचालक स्तर)	01	प्रथम श्रेणी	ईपी-14 रु. 79900-211700
	लेखाधिकारी	02	द्वितीय श्रेणी	ईपी-12 रु. 56100-177500
6	उप प्राचार्य	10	द्वितीय श्रेणी	ईपी-10 रु. 42700-135100
7	सहायक संचालक/रजिस्ट्रार (गैर तकनीकी)	02	द्वितीय श्रेणी	ईपी-10 रु. 42700-135100
8	प्रोग्रामर	01	द्वितीय श्रेणी	ईपी-10 रु. 42700-135100

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)
सेवा में भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता		
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण/पी एस सी के माध्यम से चयन द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग	अतिरिक्त संचालक (संचालनालय)	06	-	100%	-
	अतिरिक्त संचालक (एम पी एस एस डी ई जी बी)	01	-	100%	-
	निदेशक (आई टी ओ टी एस)	01	-	100%	-
	संयुक्त संचालक	14	-	100%	-
	प्राचार्य प्रथम-श्रेणी	57	50%	50%	लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन
	उप शिक्षता सलाहकार	01	-	100%	-
	उप संचालक	15	66.7%	33.3%	लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन
	प्राचार्य द्वितीय-श्रेणी	191	50%	50%	लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन
	सहायक संचालक (तकनीकी)	51	100%	-	लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन
	व्याख्याता (आई टी ओ टी एस) ट्रेड, इंजीनियरिंग टेक्नॉलाजी, ट्रेनिंग मेथौडोलॉजी	24	100%	-	लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन
	लेखाधिकारी (संयुक्त संचालक स्तर)	01	-	-	आयुक्त, कोष एवं लेखा से मध्यप्रदेश वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा
	लेखाधिकारी द्वितीय-श्रेणी	02	-	-	
	उप प्राचार्य	10	-	100%	-
	सहायक संचालक / रजिस्ट्रार (गैर-तकनीकी)	02	-	100%	-
प्रोग्रामर	01	100%	-	लोक सेवा अयोग के माध्यम से चयन (एकांगी प्रवर्ग)	

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)
आवश्यक अर्हता एवं आयु सीमा

विभाग का नाम	सेवा एवं पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतम आयु सीमा	विहित अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग	1. प्राचार्य प्रथम-श्रेणी/ उप संचालक	25	35	आवश्यक अर्हता- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल या बोर्ड से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। अनुभव- उपाधि धारक के लिए 2 वर्ष तथा डिप्लोमा धारक के लिए 7 वर्ष का किसी तकनीकी शिक्षा या शासकीय/अर्द्ध शासकीय, संगठन/ निर्माण कार्य विभागों या भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित वृहद् एवं मध्यम उद्योगों में कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव।
	2. प्राचार्य द्वितीय-श्रेणी सहायक संचालक (तकनीकी)	25	35	आवश्यक अर्हता- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल या बोर्ड से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। अनुभव-डिप्लोमा धारक के लिए, किसी मान्यताप्राप्त तकनीकी शिक्षा/ प्रशिक्षण संस्थानों या किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय संगठन/निर्माण कार्य विभागों या भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित वृहद् एवं मध्यम उद्योगों में कार्य करने का 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।
	3. व्याख्याता (आई टी ओ टी एस) फिटर ट्रेड टेक्नॉलाजी	25	35	आवश्यक अर्हता- 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल या बोर्ड से तीन वर्षीय डिप्लोमा। 2. फिटर, वेल्डर ट्रेड टेक्नॉलाजी के लिए क्रमशः फिटर, वेल्डर व्यवसाय में नेशनल क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 3. अनुभव- इन्स्ट्रक्टर के रूप में, उपाधि धारक के लिए 2 वर्ष, डिप्लोमा धारक के लिए 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है।
	4. व्याख्याता (आई टी ओ टी एस) वेल्डर ट्रेड टेक्नॉलाजी	25	35	आवश्यक अर्हता- 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपाधि या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। 2. इलेक्ट्रिकल या संबंधित व्यवसाय में नेशनल क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 3. अनुभव- इन्स्ट्रक्टर के रूप में, उपाधि धारक के लिए 2 वर्ष, डिप्लोमा धारक के लिए 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है।
	5. व्याख्याता (आई टी ओ टी एस) इलेक्ट्रीशियन ट्रेड टेक्नॉलाजी	25	35	आवश्यक अर्हता- 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपाधि या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। 2. इलेक्ट्रिकल या संबंधित व्यवसाय में नेशनल क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 3. अनुभव- इन्स्ट्रक्टर के रूप में, उपाधि धारक के लिए 2 वर्ष, डिप्लोमा धारक के लिए 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है।

	6. व्याख्याता (आई टी ओ टी एस) ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी	25	35	<p>आवश्यक अर्हता-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रान्च तथा फिटर एवं वेल्डर ट्रेड के लिए मैकेनिकल ब्रान्च में इंजीनियरिंग में उपाधि या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल या बोर्ड से तीन वर्षीय डिप्लोमा। 2. किसी व्यवसाय में नेशनल क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 3. अनुभव- इन्स्ट्रक्टर के रूप में, उपाधि धारक के लिए 2 वर्ष, डिप्लोमा धारक के लिए 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है।
	7. व्याख्याता (आई टी ओ टी एस) इंजीनियरिंग टेक्नॉलाजी	25	35	<p>आवश्यक अर्हता-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल ब्रांच में इंजीनियरिंग में उपाधि या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल में डिप्लोमा। 2. आर ओ डी एण्ड ए में नेशनल क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर कोर्स उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 3. अनुभव- इन्स्ट्रक्टर के रूप में, उपाधि धारक के लिए 2 वर्ष, डिप्लोमा धारक के लिए 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है।
	8. प्रोग्रामर	25	35	<p>आवश्यक अर्हता-</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई./बी.टेक./कम्प्यूटर साइंस तथा इंजीनियरिंग में प्रथम-श्रेणी या संकलित न्यूनतम 60% अंक या समतुल्य या एम.सी.ए./एम.सी.एम/ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर/एम.एस.सी.(कम्प्यूटर साइंस) संकलित न्यूनतम 55% अंकों के साथ या समतुल्य।</p> <p>टीप : सभी संबंधित उपाधियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से या शासन द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से होनी चाहिए।</p>

टीप: न्यूनतम तथा उच्चतम आयु सीमा के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी निदेश लागू होंगे।

अनुसूची-चार
(नियम 14 देखिए)
पदोन्नति का तरीका

विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पात्रता के लिए न्यूनतम अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग	1. संयुक्त संचालक	अतिरिक्त संचालक (संचालनालय) अतिरिक्त संचालक (एम पी एस एस डी ई जी बी) संचालक (आई टी ओ टी एस)	3 वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य -अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग -सदस्य 3. संचालक, कौशल विकास संचालनालय -सदस्य 4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रथम-श्रेणी अधिकारी -सदस्य
	2. प्राचार्य प्रथम-श्रेणी / उप शिक्षता सलाहकार / उप संचालक	संयुक्त संचालक	3 वर्ष	-तद्वैव-
	3. प्राचार्य द्वितीय-श्रेणी / सहायक संचालक (तकनीकी) व्याख्याता (आई.टी.ओ. टी.एस.) ट्रेड. इंजीनियरिंग टेक्नॉलाजी, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी	प्राचार्य प्रथम-श्रेणी / उप शिक्षता सलाहकार / उप संचालक	5 वर्ष	-तद्वैव-
	4. उप प्राचार्य वे उप प्राचार्य जिनके पास पदोन्नति के पश्चात् अनुसूची-तीन के कॉलम (5) में यथा	प्राचार्य द्वितीय-श्रेणी	5 वर्ष	-तद्वैव-

उल्लिखित अनुक्रमांक 3 के प्राचार्य द्वितीय-श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए तकनीकी योग्यता हो या अर्जित कर ली हो, परन्तु जिन पर रिक्तियों की कमी के कारण पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया हो अपनी ज्येष्ठता के अनुसार प्राचार्य द्वितीय-श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।			
5. प्रशिक्षण अधीक्षक वे प्रशिक्षण अधीक्षक, जिन्होंने पदोन्नति के पश्चात् अनुसूची-3 में यथा उल्लिखित प्राचार्य द्वितीय-श्रेणी के पद हेतु विनिर्दिष्ट तकनीकी अर्हता अर्जित कर ली हो।	प्राचार्य द्वितीय-श्रेणी	5 वर्ष	-तदैव-
6. प्रशिक्षण अधीक्षक	उप प्राचार्य	5 वर्ष	-तदैव-
7. कार्यालय अधीक्षक	सहायक संचालक / रजिस्ट्रार (गैर तकनीकी)	5 वर्ष	-तदैव-

- टीप : (1) अनुक्रमांक 5 एवं 6 में यथा उल्लिखित प्रशिक्षण अधीक्षक के पद अराजपत्रित हैं, ये पद तृतीय-श्रेणी प्रशिक्षण अधिकारी तकनीकी वर्ग से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।
- (2) अनुक्रमांक 7 में वर्णित कार्यालय अधीक्षक के पद अराजपत्रित हैं, ये पद तृतीय-श्रेणी लिपिकीय संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।
- (3) प्रोग्रामर का पद एकांगी संवर्ग का होने के कारण, इसे अनुसूची-चार में उल्लिखित नहीं किया गया है "।

No. F-1-2-2019-XLII-2.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Industrial Training (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2008, amended on 6th December 2012 namely:—

AMENDMENTS

(1) Throughout the rules, the words “Technical Education and Skill Development Department” wherever they occur, the words “Technical Education Skill Development and Employment Department” shall be substituted.

(2) For Schedule I, the following Schedules shall be substituted, namely :-

SCHEDULE-I

(See rule 5)

Classification, Scale of Pay and number of posts included in the service

S. No.	Name of posts included in the service	Number of duty posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Additional Director (Directorate)	06	Class-I	EP-15 Rs. 123100-215900
	Additional Director (MPSSDEGB)	01	Class-I	-do-
	Director (IToTs)	01	Class-I	-do-
2.	Joint Director	14	Class-I	EP-14 Rs. 79900-211700
3.	Principal Class-I	57	Class-I	EP-13 Rs. 67300-206900
	Deputy Apprenticeship Advisor	01	Class-I	-do-
	Deputy Director	15	Class-I	-do-
4.	Principal Class-II	191	Class-II	EP-12 Rs. 56100-177500
	Assistant Director (Technical)	51	Class-II	-do-
	Lecturer (IToTs) Trade, Engineering Technology, Training Methodology	24	Class-II	-do-
5.	Account Officer (Joint Director level)	01	Class-I	EP 14 Rs. 79900-211700
	Account Officer	02	Class-II	EP-12 Rs. 56100-177500
6.	Vice Principal	10	Class-II	EP-10 Rs. 42700-135100
7.	Assistant Director / Registrar (Non-Technical)	02	Class-II	EP-10 Rs. 42700-135100
8.	Programmer	01	Class-II	EP-10 Rs. 42700-135100

SCHEDULE-II

(see rule 6)

Method of recruitment to the service

Name of the Department	Name of posts included in the service	Total Number of duty posts	Percentage of the number of posts to be filled in		
			By direct recruitment	By promotion	By transfer of persons from other services selection through PSC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technical Education, Skill Development and Employment Department	Additional Director (Directorate)	06	-	100%	-
	Additional Director (MPSSDEGB)	01	-	100%	-
	Instructor (IToTs)	01		100%	-
	Joint Director	14	-	100%	-
	Principal Class-I	57	50%	50%	Selection through PSC
	Deputy Apprenticeship Advisor	01	-	100%	-
	Deputy Director	15	66.7%	33.3%	Selection through PSC
	Principal Class-II	191	50%	50%	Selection through PSC
	Assistant Director (Technical)	51	100%	-	Selection through PSC
	Lecturer (IToTs) Trade, Engineering Technology, Training Methodology	24	100%	-	Selection through PSC
	Accounts Officer (Joint Director level)	01	-	-	By deputation from Madhya Pradesh Finance service from the Commissioner, Treasury and Accounts
	Accounts Officer Class-II	02	-	-	
	Vice Principal	10	-	100%	-
	Assistant Director/Registrar (Non-Technical)	02	-	100%	-
	Programmer	01	100%		Selection through PSC (Single cadre)

SCHEDULE-III

(see rule 8)

Essential Qualification and Age Limits

Name of the Department	Name of the Service and Posts	Minimum Age limit	Upper Age limit	Prescribed Qualifications
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Technical Education, Skill Development and Employment Department	1. Principal Class-I/ Deputy Director	25	35	<p>Essential Qualification- A Degree in Engineering from any recognized University or a Diploma in Engineering from any recognized University or Mandal or Board. Experience- For Degree holder, 2 Years and for Diploma holder, 7 Years practical experience of working in any Technical Education or any Government / semi-Government organisation / construction work departments or large and medium industries as defined by Government of India and for</p>
	2. Principal Class-II/ Assistant Director (Technical)	25	35	<p>Essential Qualification- A Degree in Engineering from any recognized University or a Diploma in Engineering from any recognized University or Mandal or Board. Experience- For Diploma holder, 5 Years practical experience of work in any recognised Technical Education/ Training Institutes or any Government / semi-Government organisation / construction work departments or large and medium industries as defined by Government of India.</p>
	3. Lecturer (IToTs) Fitter Trade Technology 4. Lecturer (IToTs) Welder Trade Technology	25	35	<p>Essential Qualification- 1. A Degree in Mechanical Engineering from any recognized University or a three years Diploma from any recognized University or Mandal or Board. 2. For Fitter, Welder Trade Technology National Craft Instructor Training Course passed is compulsory for Fitter and Welder respectively. 3. Experience- As Instructor, for Degree holder 2 Years for Diploma holder. 5 years experience is necessary.</p>
	5. Lecturer (IToTs) Electrician Trade Technology	25	35	<p>Essential Qualification- 1. A Degree in Electrical Engineering from any recognized University or Diploma in Electrical Engineering from any recognized University or Mandal or Board. 2. National Craft Instructor Training Course passed is compulsory in Electrical or concerning profession. 3. Experience- As Instructor, for Degree holder 2 Years, for Diploma holder. 5 years experience is necessary.</p>

6. Lecturer (IToTs) Training Methodology	25	35	<p>Essential Qualification-</p> <p>1. For Electrical Trade, degree in Engineering in Electrical branch and for Fitter and Welder Trade Mechanical branch from any recognized University or three year Diploma from any recognized University or Mandal or Board.</p> <p>2. Must have passed National Craft Instructor Training Course in any profession.</p> <p>3. Experience- As Instructor, for Degree holder 2 Years, for Diploma holder 5 years experience is necessary.</p>
7. Lecturer (IToTs) Engineering Technology	25	35	<p>Essential Qualification-</p> <p>1. A Degree in Electrical/ Mechanical Engineering from any recognized University or Diploma in Electrical/ Mechanical from any recognized University or Mandal or Board.</p> <p>2. It is compulsory to be passed National Craft Instructor Training Course in RoD and A.</p> <p>3. Experience- As Instructor, for Degree holder 2 Years, for Diploma holder 5 years experience is necessary.</p>
8. Programmer	25	35	<p>B.E./B.Tech./B.Sc. in Computer Science and Engineering with first division or aggregate minimum 60% marks or equivalent from any recognized University.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>M.C.A./ M.C.M./ Post Graduation in Information Technology/ M.Sc. (Computer Science) with aggregate minimum 55% marks or equivalent.</p> <p>Note: All concerned degrees should be from the University recognized by the University Grants Commission or the Institute recognized by the Government.</p>

Note : For minimum and upper age limit, instructions issued from time to time by the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department shall be applicable.

SCHEDULE-IV

(see rule 14)

Method of promotion

Name of the Department	Name of the post or service from which promotion is to be made	Name of the post or service to which promotion is to be made	Minimum experience for eligibility	Name of the members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Technical Education, Skill development and Employment Department	1. Joint Director	Additional Director (Directorate) Additional Director (MPSSDEGB) Director (IToTs)	3 years	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or any member of the Commission nominated by him - Chairman 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary Government of Madhya Pradesh, Technical Education, Skill Development and Employment Dept. - Member 3. Director, Directorate of Skill Development - Member 4. Class-I Officer of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Cadre - Member
	2. Principal Class-I/Deputy Apprenticeship Adviser/Deputy Director	Joint Director	3 years	--do--
	3. Principal Class-II/ Assistant Director (Technical) Lecturer (IToTs) Trade Engineering Technology, Training Methodology	Principal Class-I/ Deputy Apprenticeship Adviser/ Deputy Director	5 years	--do--

	4. Vice Principal Those Vice Principal who had acquired the specified technical qualification after promotion as mentioned in column (5) of Schedule-III for the post of Principal Class-II at Serial number-3 but were not considered for promotion for lack of vacancies shall be eligible for promotion to the post of Principal Class-II according to their seniority	Principal Class-II	5 years	--do--
	5. Training Superintendent, the Training Superintendent who acquired the specified technical qualification after promotion as mentioned in Schedule-III for the post of Principal Class-II.	Principal Class-II	5 years	--do--
	6. Training Superintendent,	Vice Principal	5 years	--do--
	7. Office Superintendent	Assistant Director/ Registrar (Non-Technical)	5 years	--do--

- Note : (1) The post of Training Superintendent as mentioned at serial number 5 and 6 are of Non-gazetted, these posts are filled by promotion from the post of Training Officer Technical cadre of Class-III.
- (2) The posts of Office Superintendent mentioned at serial number 7 are Non-Gazetted, these posts are filled by promotion from clerical cadre of Class-III.
- (3) Due to single cadre post of Programmer, it has not been mentioned in Schedule IV.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज शर्मा, उपसचिव.